संख्या-2024/ 001-3171422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल,

उत्तर प्रदेश, शासन।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-31/01/2024

विषय- जनपद फतेहपुर के स्पोर्ट्स कालेज में सिन्थेटिक हॉकी मैदान के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-792/नि0 स्पो0का0 फतेहपुर स्टे0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 05.10.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फतेहपुर के स्पोर्ट्स कालेज में सिन्थेटिक हॉकी मैदान के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 1185.08 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1125.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष- 2023-24 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-06-प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन/नव निर्माण-24 वृहत् निर्माण कार्य '' मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 11671.98 में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 5,62,52,000/- (रुपये पांच करोड़ बासठ लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,62,52,000/-(रुपये पांच करोड़ बासठ लाख बावन हजार मात्र)निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था यू0पी0 कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2022 की अनुसूची दरों, डी0एस0आर0-2021 पर प्रस्तावित की गयी हैं । प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(4) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में Suppling and laying Syntetic Hockey Surface (Astroturf Ground) कार्यमद का प्रावधान किया गया है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों के सापेक्ष उच्च विशिष्ट है। अतः उक्त कार्यमद पर लोक निर्माण अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या- 177 /2023/184ई /23-11-2023-773ई /2023 दि0 08 जून, 2023 के अनुसार कार्यवाही कर ली गयी है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित सिन्थेटिक हॉकी सरफेस (एस्ट्रोटर्फ) शौकपैड, वाटर ट्रे, प्रकाश, सैण्ड सैपरेटर, वाहय फिटिंग हेतु पाइप, स्प्रिंकलर सिस्टम, 10 एच0पी0सी0एफ0 पम्प आदि बाट आउट श्रेणी के कार्यों की लागत बजटरी आफर / कोटेशन / बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई हैं। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें, चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था, द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा खेल विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जायेगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्य का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(8) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल का होगा।

(10) कार्यदायी संस्था/ द्वारा प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो पूर्व में स्वीकृत है और न ही वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(16) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(17) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(19) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(20) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(21) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(23) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,62,52,000 (रुपये पांच करोड़ बासठ लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038000600 प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नव निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-186-X-2023-24-दिनांक:29-1-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-3171422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5- क्रीड़ाधिकारी, फतेहपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।